

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.18(25)नविवि / general / 2026 -16147

जयपुर, दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

**—:आदेश:—**

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत दो वर्षों से GIS आधारित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है, बार-बार पुनः निविदा जारी किए जाने के बावजूद अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। प्रस्तावित मास्टर प्लान का हॉराइजन ईयर (Horizon Year) भी व्यतीत हो चुका है। जिससे नियोजन प्रक्रिया की उपयोगिता एवं समयबद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह भी अवलोकित किया गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निविदा में अपनाई जा रही कार्य-परिधि (Scope of Work) एवं अन्य तकनीकी शर्तें बार-बार विवादास्पद रही हैं, जिससे पारदर्शिता एवं प्रतियोगिता दोनों प्रभावित हुई हैं।

अतः ऐसी परिस्थितियों में भविष्य में विलंब एवं विवादों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान के साथ-साथ सेक्टर प्लान व जोनल प्लान बनवाये जाने हेतु राज्य स्तर पर निम्नानुसार एक स्वतंत्र समिति तत्काल प्रभाव से गठित की जाती है, जो निविदा की तकनीकी शर्तों, योग्यता मानदंडों तथा कार्य-परिधि का पुनः परीक्षण करेगी।

- |  |            |
|--|------------|
| 1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग,<br>राजस्थान सरकार —  | अध्यक्ष    |
| 2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान<br>सरकार —       | सदस्य      |
| 3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार —                        | सदस्य      |
| 4. मुख्य अभियंता, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान<br>सरकार —     | सदस्य      |
| 5. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग,<br>राजस्थान सरकार — | सदस्य      |
| 6. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण —                    | सदस्य      |
| 7. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग —                    | सदस्य      |
| 8. श्री अरुण व्यास, मुख्य अभियंता, रूडसिको —                 | सदस्य सचिव |

उपर्युक्त समिति आवश्यकता होने पर विषय विशेषज्ञों (Subject Experts) की राय भी ले सकेगी तथा इस कार्य में अनुभव रखने वाली देश-विदेश की फर्मों से उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तुतीकरण प्राप्त कर सकेगी, तथा उपयुक्त समझने पर अंतिम दस्तावेज हेतु अपनी अनुशंसा (recommendation) दे सकेगी।

**समिति के कार्य एवं दायित्व:-**

1. समिति पूर्व में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई कार्य-परिधि (Scope of Work) का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी कि भावी निविदा में दायरा मास्टर प्लान की मूल आवश्यकताओं पर केंद्रित रखा जाये।

2. नवीन निविदा में Drone/UAV आधारित सर्वेक्षण तथा मोबाइल एप्लिकेशन एवं वेब पोर्टल का एकीकृत उपयोग किया जाए, जैसा कि AMRUT दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है।

3. योग्यता मानदंड (Qualification Criteria) में केवल वही फर्म पात्र मानी जाएँ जिनके पास समान अथवा तुलनीय क्षेत्रफल (एकल अथवा संचयी Equivalent Area) का मास्टर प्लान कम से कम Draft Stage तक तैयार करने का अनुभव हो।

4. अत्यधिक कठोर (Stringent) शर्तें योग्यता में सम्मिलित न की जाएँ तकनीकी दक्षता एवं समान कार्य अनुभव को अधिक वेटेज दिया जाए।

Request for Proposal (RFP) का अंतिम प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसे माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की स्वीकृति के उपरांत ही प्रकाशित किया जाएगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)  
शासन उप सचिव—प्रथम

**प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर), जयपुर।
8. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त-----।
11. मुख्य अभियंता, नगरीय विकास विभाग।
12. निदेशक (विधि), जयपुर विकास प्राधिकरण।
13. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग।
14. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
15. मुख्य अभियंता, रूडसिको।
16. प्रोग्रामर, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
17. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव— प्रथम